27/6/22 पत्रावली मूल वाद के साथ आज पेशी में ली गई। चूँकि मूल वाद नोप्रोस के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है। इसलिए इस प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना